संख्या- 09/2022/1861/002-33-2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 06 सितंबर, 2022

विषय:- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को वर्ष 2022-23 के लिए संस्तुत निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की प्रथम किश्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-F.-15(4) F.C.-XV-FCD/2020-25 दिनांक 31.08.2022, आपके पत्र संख्या-6/2894/2022-6/267/2022 दिनांक 01.09.2022 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु प्रथम किश्त की निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की अवमुक्त कुल धनराशि रू. 2239.80 करोड़ (रू. बाइस सौ उनतालीस करोड़ अस्सी लाख मात्र) में से क्रमश: जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को संलग्न फाण्ट के अनुसार निम्नवत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्याय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थांओं को संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय पन्द्रहवें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किए जाने के संबंध में निर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्यां-30/2020/1594/33-3-2020-33/2020 दिनांक 29.06.2020 व अन्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाएगा।

(3) पंचायतीराज संस्थांओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे पंचायतीराज संस्था ओं के खाते में जमा की जायेगी। उक्त प्रक्रिया पी.एफ.एम.एस. के सम्बान्धय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंचायतीराज संस्था ओं का बैंक खाता, आई.एफ.एस.सी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।

(6) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्याए एवं दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(8) उक्तांनुसार वित्तीय स्वीकृत धनराशि को निर्गत करने के पूर्व जनपदवार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(9) वित्तीय स्वीकृति की धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्टं) मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करनें का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्यन स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो; उन मामलों में व्यय करनें के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(10) शासकीय व्यय में मितव्यियता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्री य सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्याय-4/2018/ आर0जी0-1021/ दस/ 2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट में जनपदवार उपलब्ध धनराशि की सीमा के उपर कदापि नहीं निर्गत किया जायेगा। जनपदवार फाण्ट के सही होनें का दायित्व निदेशक,पंचायतीराज का होगा। धनराशि का आहरण/ व्यय में भारत सरकार की गाइड लाइन/ दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) पंचायती राज संस्थाओं हेतु भारत सरकार से आवंटित प्रथम किश्त की निर्दिष्ट अनुदान (टाइड ग्रांट) की कुल धनराशि रू. 2239.80 करोड़ (रू. बाइस सौ उनतालीस करोड़ अस्सी लाख मात्र) निम्नवत व्यतवस्थानुसार अवमुक्त की जायेगी:-

क्र0सं0	पंचायतीराज संस्थाएं	(अनुपात)	धनराशि (रू. में)
1	जिला पंचायत	(15 प्रतिशत)	3,35,97,00,000/-
2	क्षेत्र पंचायत	(15 प्रतिशत)	3,35,97,00,000/-
3	ग्राम पंचायत	(70 प्रतिशत)	15,67,86,00,000/-
	कुल योग		22,39,80,00,000/-

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक अनुदान संख्या-14 के निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जाएगा:-

1. जिला पंचायत- 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यकम-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय संस्थाओं को सहायता- 05- 15वां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)-3,35,97,00,000/-

2. क्षेत्र पंचायत- 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता- 05-15वां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)-3,35,97,00,000/-

3 ग्राम पंचायत-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-05-15वां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) -15,67,86,00,000/-

कुल योग -22,39,80,00,000/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2515001960500 (पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	014	2515001960500 पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3,35,97,00,000 (रुपये तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र)
	कुल			**3,35,97,00,000 (रुपये तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2515001970500 (पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	014	2515001970500 पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3,35,97,00,000 (रुपये तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र)
	कुल			**3,35,97,00,000 (रुपये तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्तानवे लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2515001980500 (पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	014	2515001980500 पन्द्रहवां वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	15,67,86,00,000 (रुपये पंद्रह अरब सड़सठ करोड़ छियासी लाख मात्र)
	कुल			**15,67,86,00,000** **(रुपये पंद्रह अरब सड़सठ करोड़ छियासी लाख मात्र)**

महायोग	22,39,80,00,000 (रुपये बाईस अरब उनतालीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- समस्त मण्डलायुक्त।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 ।

8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनउ।

10- संबंधित बैंकों को।

11- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा उ0प्र0।

12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2

13- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।

14- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।

15- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

16- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।

17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 09/2022/1861/002-33-2022 दिनांक 06 सितम्बर, 2022 का संलग्नक

(धनराशि रू. में)

क्र.स.	जनपद	निर्दिष्ट अनुदान की प्रथम किस्त वर्ष 2022-23			
		जिला पंचायत की धनराशि	क्षेत्र पंचायत की धनराशि	ग्राम पंचायत की धनराशि	योग(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	आगरा	55844021	55844021	260605433	372293475
2	अलीगढ़	51224026	51224026	239045454	341493506
3	अम्बेडकर नगर	44168488	44168488	206119612	294456588
4	अमेठी	39975033	39975033	186550155	266500221
5	अमरोहा	30225317	30225317	141051482	201502116
6	औरैया	25893273	25893273	120835273	172621819
7	अयोध्या	43741144	43741144	204125338	291607626
8	आजमगढ़	90284139	90284139	421325984	601894262
9	बागपत	21864681	21864681	102035180	145764542
10	बहराइच	69322330	69322330	323504204	462148864
11	बलिया	61497657	61497657	286989066	409984380
12	बलरामपुर	44035675	44035675	205499818	293571168
13	बांदा	35935717	35935717	167700014	239571448
14	बाराबंकी	62877987	62877987	293430607	419186581
15	बरेली	65228873	65228873	304401405	434859151
16	बस्ती	46631478	46631478	217613564	310876520

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17	भदोही	27683954	27683954	129191787	184559695
18	बिजनौर	61418288	61418288	286618679	409455255
19	बदायू	56073467	56073467	261676179	373823113
20	बुलन्दशहर	57442000	57442000	268062667	382946667
21	चन्दौली	37858528	37858528	176673132	252390188
22	चित्रकूट	21512810	21512810	100393111	143418731
23	देवरिया	58466930	58466930	272845673	389779533
24	एटा	33674178	33674178	157146162	224494518
25	इटावा	27368198	27368198	127718255	182454651
26	फर्रूखाबाद	32145040	32145040	150010186	214300266
27	फतेहपुर	51137817	51137817	238643144	340918778
28	फिरोजाबाद	36067379	36067379	168314437	240449195
29	गौतमबुद्धनगर	7298875	7298875	34061416	48659166
30	गाजियाबाद	15054769	15054769	70255587	100365125
31	गाजीपुर	71633127	71633127	334287927	477554181
32	गोण्डा	70679453	70679453	329837449	471196355
33	गोरखपुर	72544964	72544964	338543165	483633093
34	हमीरपुर	22948178	22948178	107091497	152987853
35	हापुड़	20286734	20286734	94671425	135244893
36	हरदोई	80757843	80757843	376869936	538385622
37	हाथरस	26386324	26386324	123136180	175908828
38	जालौन	26474253	26474253	123546514	176495020
39	जौनपुर	86501984	86501984	403675928	576679896

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

40	झांसी	30767713	30767713	143582662	205118088
41	कन्नौज	30200396	30200396	140935179	201335971
42	कानपुर देहात	34981144	34981144	163245341	233207629
43	कानपुर नगर	35390739	35390739	165156783	235938261
44	कासगंज	25752574	25752574	120178679	171683827
45	कौशाम्बी	28618758	28618758	133554205	190791721
46	खीरी	80924675	80924675	377648481	539497831
47	कुशीनगर	64462575	64462575	300825350	429750500
48	ललितपुर	28028442	28028442	130799396	186856280
49	लखनऊ	28008161	28008161	130704752	186721074
50	महाराजगंज	50586874	50586874	236072080	337245828
51	महोबा	18690789	18690789	87223681	124605259
52	मैनपुरी	34364710	34364710	160368645	229098065
53	मथुरा	37305352	37305352	174091644	248702348
54	मऊ	34828061	34828061	162530952	232187074
55	मेरठ	36219575	36219575	169024683	241463833
56	मिर्जापुर	49647382	49647382	231687781	330982545
57	मुरादाबाद	41185572	41185572	192199334	274570478
58	मुजफ्फरनगर	47223832	47223832	220377881	314825545
59	पीलीभीत	38679998	38679998	180506657	257866653
60	प्रतापगढ़	62313354	62313354	290795652	415422360
61	प्रयागराज	91477908	91477908	426896903	609852719
62	रायबरेली	56140911	56140911	261990918	374272740

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

63	रामपुर	37427015	37427015	174659403	249513433
64	सहारनपुर	52642888	52642888	245666809	350952585
65	संम्भल	38163765	38163765	178097570	254425100
66	सन्त कबीर नगर	32342475	32342475	150931550	215616500
67	शाहजहापुर	52674726	52674726	245815389	351164841
68	शामली	20367100	20367100	95046465	135780665
69	श्रावस्ती	23589294	23589294	110083373	157261961
70	सिद्धार्थ नगर	48769022	48769022	227588768	325126812
71	सीतापुर	87283103	87283103	407321148	581887354
72	सोनभद्र	41235482	41235482	192432248	274903212
73	सुल्तानपुर	49195302	49195302	229578078	327968682
74	उन्नाव	57814864	57814864	269802697	385432425
75	वाराणसी	42230537	42230537	197075838	281536912
	योग-	**3359700000**	**3359700000**	**15678600000**	**22398000000**

रू. 2239.80 करोड़ (रू. बाइस सौ उनतालीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)

(गिरिजेश कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।